

दिनांक-20.10.2010
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
परिक्षेत्र आजमगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) बी० के अनुसार आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है -

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

उप्र० पुलिस रेगुलेशन के पैरा 2 के अनुसार - उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं वे पुलिस की निपुणता के लिए अपने परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जा रहा है। उनको अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए और उन्हें सहायता एवं परामर्श देने के साथ-साथ उन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्हें कम से कम वर्ष में एक बार प्रत्येक जिले के अधीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहिए।

उप्र० पुलिस रेगुलेशन के पैरा 3 के अनुसार - उपमहानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र में अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिए दायित्वाधीन हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि गम्भीर अपराध को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये हैं और जिलों का आपस में सहयोग प्रभावी है। इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ उन्हें महानिरीक्षक के प्रारूप संख्या-138 के अधीन-(1) डकैती (2) हत्या (3) लूट (4) विष प्रयोग (5) प्रकीर्ण मामलों का रजिस्टर रखना चाहिए। वह अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट को महानिरीक्षक को पेश करेंगे, जिसमें कि उनके रेज से सम्बन्धित कोई भी ऐसा मामला होगा, जिसे कि उनके विचार में महानिरीक्षक को सूचित करना चाहिए। प्रत्येक मामले की संक्षिप्त विशिष्टियों को देते हुए उन्हें डकैती के कथनों को संलग्न करना चाहिए। असामान्य मामलों में अपराध विशेष की रिपोर्ट को वह पुलिस महानिरीक्षक को भेजेंगे। उपमहानिरीक्षक के लिए जो भी मामले आवश्यक प्रकृति के हों तथा जिसमें सरकार को तुरन्त सूचना अपेक्षित हो, जैसे गम्भीर शान्ति भंग, यूरोप और भारतीयों के मध्य टकराव तथा राजनैतिक मामलों के महत्वपूर्ण विषयों को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को सूचना तत्काल दी जायेगी किन्तु यथा सम्भव उपमहानिरीक्षक वह माध्यम होंगे, जिसके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सूचना प्राप्त करेंगे। जिले के पुलिस प्रशासन को वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात पुलिस उपमहानिरीक्षक को अपने सम्पूर्ण परिक्षेत्र के लिए समस्त विषयों पर टिप्पणियों सहित, जिनका उल्लेख किया जाना अपेक्षित है एक पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करके पुलिस महानिरीक्षक को भेजी जायेगी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र में पुलिस की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग केन्द्रों में पर्यवेक्षण और सामंजस्य हेतु उत्तरदायी होंगे। इसका वह समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त वह परिचित प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों से सम्पर्क में रहेंगे तथा उन्हें प्रयोग के तौर पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अंगीकृत करेंगे।

1.1 परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन -

आजमगढ़ परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है-

पुलिस उपमहानिरीक्षक	पुलिस अधीक्षक
पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़
	पुलिस अधीक्षक, मऊ
	पुलिस अधीक्षक, बलिया

1.2 परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण

क्र0 सं0	पद का नाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1	सहायक रेडियो अधिकारी	परिक्षेत्र में संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना व अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाये रखना	पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र
2	पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण, आजमगढ़ (पद रिक्त)	परिक्षेत्र में प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण का समन्वय व मार्गदर्शन करना।	पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र
3	अवर अभियन्ता आजमगढ़ परिक्षेत्र (पद रिक्त)	भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख-रखाव के प्रस्ताव तैयार करना तथा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।	पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र

2. पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियां एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस उपमहानिरीक्षक के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं -

2.1 पुलिस अधिनियम

धारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियां एवं दायित्व
7	संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के और ऐसे नियमों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये जाय, अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षकगण एवं सहायक महानिरीक्षकगण और जिला पुलिस अधीक्षकगण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलम्बित या अवनत कर सकेंगे, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पायें या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जायें, या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जा अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से

	निर्वहन करता है या जो सेवकगण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है।
--	---

2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियां एवं दायित्व
391	परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक अस्थायी रूप से अपने एक जिले के पुलिस बल को अन्य जिलों के निरीक्षक के ऊपर की पंक्ति के न होने वाले पुलिस अधिकारियों को हटाकर डकैती के विरुद्ध अभियान चलाने या मेले जैसे प्रयोजनों के लिए, वृद्धि करने के लिए सक्षम है। अतिरिक्त पुलिस के लिए पुलिस अधीक्षक को परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। वार्षिक मेला और समारोहों के लिए नियतकालिक अपेक्षाओं के लिए, जिनके लिए साधारणतया भागी संख्या में बलों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त समय से सूचना दी जानी चाहिए।
434	निरीक्षकों की पदोन्नति वेतनवृद्धि के समयमान की स्थिति द्वारा विनियमित होती है। मूल नियम 25 के अधीन दक्षता अवरोध से परे वृद्धियों की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी उपमहानिरीक्षक हैं। वार्षिक वृद्धियों के रोकने का आदेश मूल नियम 24 के अधीन अधीक्षक द्वारा दिया जा सकेगा।
435	रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति के प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति किये गये उपनिरीक्षकों का प्रथमतः परीक्षण तथा साक्षात्कार उनके उपमहानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
439(1)	अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरे के अनुक्रम में परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे कि सभी उपनिरीक्षकों में जो निरीक्षक पद पर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रोन्नति के लिए अनुमोदित किये गये हैं, वर्ष के दौरान किस रीति से कार्य किया है तथा उनकी सामान्य ख्याति क्या है? उस जिले से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक से पूछताछ करते हुए उनसे उन थानों का निरीक्षण करते हुए, जहां वे तैनात हों, जब सम्भव हो व्यक्तिगत साक्षात्कार करके कदम उठायेंगे। प्रत्येक रेंज के उपमहानिरीक्षक प्रत्येक अधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से यह कथन करते हुए अपनी राय अभिलिखित करेंगे कि क्या वह इस बात की संस्तुति करते हैं कि उसका नाम अनुमोदित सूची में बना रहे या उसे हटा दिया जाय।
439(4)	जब कभी उपमहानिरीक्षक अनुमादित सूची से किसी भी नाम को हटाने की सिफारिश करें तो प्रश्नगत अधिकारी की पदोन्नति पर तब तक विचार न किया जाय, जब तक समिति न बुलायी जाय तथा व सिफारिश पर कोई कार्यवाही करने का निर्णय न लें।
442	जब किसी अधिकारी की प्रोन्नति के लिए उपमहानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित हो तो उस अधिकारी तथा किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसका अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, चरित्र पत्रावलियां, अधिक्रमण का कारण देते हुए टीप्पणी सहित उपमहानिरीक्षक के पास भेजी जायेंगी।

445	उ०नि० सिविल पुलिस पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ आरक्षियों तथा मुख्य आरक्षियों के चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षायें सभी जिलों में एक पूर्व निर्धारित तिथि को मुख्यालय द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध के अधीन संचालित की जाती है। उत्तर पुस्तिकायें सम्बन्धित पुलिस उपमहानिरीक्षकों को अग्रेशित की जाती है, जो उनकी जांच तीन पुलिस अधीक्षकों के एक बोर्ड से करायेंगे। तदोपरान्त एक बोर्ड जो परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक द्वारा नामजद पीएसी के एक कमाण्डेट एवं सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक से गठित होगा, प्रत्येक जिले का दौरा करके उन सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों की समीक्षा करेंगे, जो परीक्षा में अर्ह हुए हैं। इस आशय से अभ्यर्थियों की सामान्य डिल व शारीरिक परीक्षण की परीक्षा भी की जायेगी। इस प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा, चरित्र पंजी की संवीक्षा तथा शारीरिक परीक्षा के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थी अन्तिम चयन हेतु परिक्षेत्र के नामजद व्यक्ति माने जाते हैं। परिक्षेत्र के नामित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा केन्द्रीय रूप से तैयार किये गये प्रश्नपत्रों के आधार पर होती है, जिनका मूल्यांकन पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षकों का बोर्ड गठित करके कराया जाता है।
449	सबार पुलिस के सिवाय मुख्य आरक्षियों के पद पर प्रोन्तियां उपमहानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
464	पारितोषिक में प्राप्त अनुदान प्रान्तीय होता है किन्तु रिजर्व के लिए उपबन्ध कर दिये जाने के पश्चात यह महानिरीक्षक द्वारा विभाजित तथा उपमहानिरीक्षक द्वारा, जो कि विशेष मामलों में, बड़े इनामों में देने के लिए धन रक्षित रखते हुए, जिलों और अनुभागों में उसे आवंटित कर देते हैं। उपमहानिरीक्षक बचत पारितोषिक का पुनर्वियोजन करने के लिए प्राधिकृत है।
465	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं दोष सिद्धि हेतु 5000 रु० की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।
479 ग	उपमहानिरीक्षक अपने अधीनस्थ अस्थायी या स्थायी निरीक्षकों की पंक्ति के तथा उनके नीचे की पंक्ति के सभी अधिकारियों को दण्डित कर सकेंगे।
490(9)	ऐसे सभी मामलों में, जिसमें पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक या उपनिरीक्षक की पदच्युति या उसके सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव करें, उस मामले को अन्तिम आदेश हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपमहानिरीक्षक को अग्रेसित करेंगे।
500 ख	यदि अधिकारी, जिसके आचरण की निन्दा की गयी है, पुलिस अधीक्षक स्तर का हो तो जांच रेंज के उपमहानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।
508 ग	पुलिस उपमहानिरीक्षक को, प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसके विरुद्ध वेतनवृद्धि या प्रोन्ति रोकने का कोई आदेश अध्याय 30 के अधीन पारित किया जाय, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है यदि वह आदेश पुलिस अधीक्षक का हो। यह अपील आदेश की प्राप्ति के 90 दिवस के अन्दर होनी चाहिए।
520(5)	पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अन्दर किसी भी अराजपत्रित प्राधिकारी का स्थानान्तरण कर सकते हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक सभी निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और सिपाहियों को अपने सम्भाग में स्थानान्तरित कर सकते हैं।
525	पुलिस उपमहानिरीक्षक सिविल पुलिस के उन सिपाहियों की, जिनकी सेवा 2 वर्ष से

	अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की हो अथवा सशस्त्र पुलिस बल के सिपाहियों की, जिनकी सेवा 2 वर्ष से कम की न हो बल की किसी भी शाखा में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
537	उपमहानिरीक्षक अलग-अलग मामलों में परिवीक्षाधीन किसी अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए विस्तार कर सकेंगे।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

धारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियाँ एवं दायित्व
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

2.4 उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991

धारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियाँ एवं दायित्व
20(1)	ऐसा पुलिस अधिकारी, जिसके विरुद्ध नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (3) और खण्ड ख के उपखण्ड (1) से (4) में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाय तो ऐसे दण्ड के आदेश के विरुद्ध उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को अपील कर सकता है। यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उपनियम (4) के अधीन सशक्त अधिकारियों का हो।

2.5 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्यः-

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी उपमहानिरीक्षक को दिशा-निर्देश प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर उनके द्वारा अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

2.6 पुलिस उपमहानिरीक्षक के अपेक्षित कर्तव्य

1. अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करना।
2. अपने कार्यक्षेत्र में अपराधों की रोकथाम तथा उस पर नियंत्रण और अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध डेटाबेस तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करना।

3. अपने कार्यक्षेत्र में घटित समस्त स्पेशल स्पोर्ट अपराधों की विवेचनाओं की गहन समीक्षा करना और महत्वपूर्ण घटना स्थलों का निरीक्षण करना।
4. अपने कार्यक्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस के कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना एवं अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
5. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों की आन्तरिक सुरक्षा योजनाओं का अद्यावधिक कराकर उन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।
6. उन आन्दोलनों, जिनमें शान्ति भंग हो अथवा भंग होने की आशंका हो, के विषय में कार्यप्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
7. समाज के दलित एवं दुर्बल वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
8. सप्ताह में प्रत्येक कार्यादिवस में प्रातः 10.00 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में जनता की शिकायतों को सुनने व उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु उपलब्ध रहना। किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपालन के कारण किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करना।
9. अपने कार्यक्षेत्र में व्यापक भ्रमण करना एवं समय-समय पर संवेदनशील स्थानों पर जनता की समस्याओं को सुनने उनके निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं विशेष अपराधों की समीक्षा हेतु रात्रि हाल्ट करना।
10. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालयों, पुलिस लाइन्स आदि का स्थायी आदेशों के अनुसार निरीक्षण करना।
11. पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखना तथा उसमें सुधार लाना।
12. नियंत्रणाधीन पुलिस कर्मियों के कल्याण की ओर उपर्युक्त ध्यान देना।
13. शासन एवं पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित सभी प्रशासनीय एवं वित्तीय दायित्वों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना।
14. ऐसे अन्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जो समय-समय पर शासन एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा सौंपे जायें उनका निर्वहन करना।
15. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों में जनता के प्रति व्यवहार में आशातीत सुधार लाना।
16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु केस में दिये गये प्रत्येक निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करवाना तथा प्रत्येक आकस्मिक निरीक्षण में जो क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा स्वयं द्वारा किये जांय, में अनुपालन सम्बन्धी निरीक्षण नोट अंकित करना।
17. उपलब्ध पीएसी का आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के जनपदों को अस्थाई आवंटन।
18. परिक्षेत्र के किसी जनपद में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के अन्य जनपदों से पुलिस बल उपलब्ध कराना।
19. अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य व अन्य परिक्षेत्रों से परस्पर समन्वय बनाए रखना।

20. पुलिस मुख्यालय से कुछ शीर्षकों अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य उपयुक्त आवंटन।
21. जनपदीय पुलिस का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन।
22. परिक्षेत्रीय पुलिस बल का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्थानान्तरण व प्रोन्ति संबंधित कार्य।
23. शासन व पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के निर्देशों का जनपदों में अनुपालन सुनिश्चित कराना।

2.7 पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जनपदों के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों का विवरण

शीर्षक शाखा	समय
शीर्षक प्रथम - पत्र व्यवहार शाखा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक द्वितीय - आंकिक शाखा	उपरोक्त
शीर्षक तृतीय - पुलिस लाइन्स	उपरोक्त
शीर्षक चतुर्थ - अभियोजन शाखा	उपरोक्त
शीर्षक पंचम - अपराध	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम - जनपद का सामान्य पुलिस प्रशासन	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-1 जनपदों में नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में टिप्पणी	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-3 जनपदों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, शिकायतों का निस्तारण	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-4 अधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षणों की गुणवत्ता व अनुपालन की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-5 अधिकारियों के दौरों की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-6 थानाध्यक्षों की मीटिंग	वर्ष में दो बार (जनवरी-जून), (जुलाई-दिसम्बर)
शीर्षक षष्ठम-7 जनप्रतिनिधियों से भेंट	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-8 पुलिस पेंशनर्स बोर्ड	वार्षिक वर्ष में एक ही मीटिंग की जाय, जिसमें आई.जी. जोन, डी.आई.जी. रेन्ज व पु.अ. उपस्थित हों।
शीर्षक सप्तम- भवन	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम	
अष्टम -1 महिला प्रकोष्ठ	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)

अष्टम -2	विशेष जांच प्रकोष्ठ	उपरोक्त
अष्टम -3	जनपद अपराध अभिलेख ब्यूरो (डीसीआरबी)	उपरोक्त
अष्टम -4	फोल्ड यूनिट जनपद	उपरोक्त
अष्टम -5(1)	जिला नियंत्रण कक्ष	उपरोक्त
अष्टम -5(2)	नगर नियंत्रण कक्ष	उपरोक्त
शीर्षक नवम स्थानीय अभिसूचना इकाई		उपरोक्त
शीर्षक दशम थानों का निरीक्षण		जनवरी-जून- 2 थाने जुलाई-दिसम्बर- 2 थाने

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.1.1 पुलिस उपमहानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया -

क्र0 सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	अविलम्ब
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय के पुलिस जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा	01 दिवस में
3	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
4	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस में
5	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में

6	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अन्तिम आदेशित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
7	प्रार्थना पत्र मय जाँच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना	जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा	01 दिवस में
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा	01 वर्ष तक

3.1.2 पुलिस उपमहानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय के प्रधान लिपिक द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	प्रधान लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	प्रधान लिपिक द्वारा लिफाफे को खोला जाना	प्रधान लिपिक	अविलम्ब
3	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
3	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	प्रधान लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
5	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	15 दिवस में
6	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में

7	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अन्तिम आदेशित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
8	प्रार्थना पत्र मय जाँच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना	प्रधान लिपिक द्वारा	01 दिवस में
9	जाँच रिपोर्ट का रख-रखाव	प्रधान लिपिक द्वारा	01 वर्ष तक

3.2 परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण

पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यलय में सम्बन्धित जनपद द्वारा विशेष अपराध आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यलय में विशेष अपराध पत्रावली बनाना	वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
पर्यवेक्षण आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	10 दिवस में
क्रमागत आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	प्रथम आख्या 10 दिवस में तथा शेष 01 माह के अन्तराल में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर अपत्तियों का प्रेषित किया जाना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	07 दिवस में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर अपत्तियों का निराकरण	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	15 दिवस में
कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोपरान्त पत्रावली बन्द किया जाना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1 परिक्षेत्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्र0सं 0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	परिक्षेत्र स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
2	पुलिस उपमहानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
 1. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
 2. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
 3. कानून का पालन करने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
 4. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
 5. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
 6. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
 7. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
 8. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
 9. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
 10. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
 11. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
 12. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5 कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

क्र.सं. अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
- 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल
- 6 साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
- 8 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
- 9 वित्तीय हस्त पुस्तिका
- 10 समय-समय पर निर्गत शासनादेश
- 11 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्यप्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाते हैं -

- 1 सेवा संबंधी अभिलेख
2. विशेष अपराध पत्रावलियां
- 3 कानून-व्यवस्था एवं आपराधिक स्थिति की समीक्षा संबंधी पत्रावलियां
- 4 वेतन, भत्ते, आकस्मिकता निधि एवं बजट संबंधी अभिलेख
- 5 शिकायत निस्तारण संबंधी अभिलेख
6. गार्ड फाइल
7. भवन मरम्मत संबंधी अभिलेख
8. परिक्षेत्र में पीएसी आवंटन सम्बन्धी अभिलेख
9. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख

**7. जनता की परामर्श दात्री समितियां जो संगठन में अन्तर्निहित हैं
शून्य**

8. बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिये मौजूद हैं

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

**9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका
पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र कार्यालय के
अधिकारियों तथा कर्मचारियों के टेलीफोन नम्बर**

पद नाम अधिकारीगण	आवास नं०	कार्यालय नं०	सी.यू.जी. मो.नं०
पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र	05462-243201 05462-243249	05462-243249 05462-243201	945440-0203
गोपनीय सहायक	-	उक्त	945440-2589
प्रधान लिपिक	-	उक्त	उक्त
जनसम्पर्क अधिकारी	-	उक्त	उक्त
वाचक, पुलिस उपमहानिरीक्षक	-	उक्त	उक्त
परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता	-	-	-

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र०सं०	पद	वेतनमान	मूल वेतन
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़	37400-67000	55290
2	गोपनीय सहायक	9300-34800	28530
3	प्रधान लिपिक	9300-34800	19610
4	जन सम्पर्क अधिकारी	.	.
5	वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक	9300-34800	24780
7	अवर अभियन्ता	.	.
8	एएसआई(एम)	5200-20200	13370

11. बजट

क्र० सं०	लेखा शीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष	
		2010-2011	
		अनुदान	व्यय
1	वेतन,	1676000	1057970
2	महगाई	502000	400829
3	अन्य भत्ता	49000	32492
4	50 प्रतिशत महगाई	.	.

5	यात्रा भत्ता	20000	3923
2	स्थानान्तरण भत्ता	7000	-
3	ग्रीष्म एवं शीत कालीन व्यय	.	.
4	फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत	29000	27283
5	अन्य छुट्र आकस्मिक व्यय	144000	138915
6	विद्युत/प्रकाश व्यय	45000	26004
7	छपाई पर व्यय	.	.
8	अंश कालिक मजदूरों का वेतन	.	.
9	पुरस्कार	.	.
10	टेलीफोन का व्यय	84000	28341
11	स्टेशनरी का क्रय	3000	2450
12	कम्प्यूटर अनुरक्षण	3000	2975
13	चिकित्सा व्यय	16868	-

12. सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण— शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. अधिनियमान्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस उपमहानिरीक्षक /वाचक, पुलिस उपमहानिरीक्षक/सहायक जनसूचना अधिकारी	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों का छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	परिक्षेत्रीय कार्यालय	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त/सम्बन्धित थाने के माध्यम से	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वत्रंता के

			संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु0 प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकसे चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु0 से अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम

कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है :-

क्र0 सं0	राज्य जन सूचना अधिकारी	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी का पदनाम
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र	वाचक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र	अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था एवं अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

17. अन्य कोई विहित सूचना- शून्य